सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण, 1948 (श०)

संख्या - 442 राँची, बुधवार, 12 अगस्त, 2026 (ई०)

## राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

---

आदेश

12 अगस्त, 2026

**संख्या-09/आरोप-लातेहार-137/2023-2680/रा.(09),--**श्री कुमार सत्यम भारद्वाज, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, बालुमाथ, लातेहार सम्प्रति अंचल निरीक्षक, गोविन्दपुर, धनबाद के विरूद्ध उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-990/रा0, दिनांक- 03.07.2023 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध बालूमाथ अंचल, लातेहार में पदस्थापन के दौरान मौजा-बालू के CS मांग पंजी-II में छेड़-छाड़ किये जाने के संबंध में कुल-03 आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

2. उक्त आरोपों पर श्री भारद्वाज द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय आदेश सं0-3015, दिनांक 13.09.2024 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-शून्य, दिनांक-28.04.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है ।

3. श्री भारद्वाज के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी के मंतव्य एवं इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्यों के समीक्षोपरांत विभागीय आदेश सं0-438, दिनांक-24.02.2026 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (ix) के तहत् आदेश निर्गमन की तिथि से अनिवार्य सेवानिवृति का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

4. उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री भारद्वाज द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर रिट याचिका W.P.(S) No.1989/2026 में दिनांक-22.06.2026 को पारित न्यायादेश द्वारा विभागीय आदेश सं0-438, दिनांक 24.02.2026 द्वारा वादी श्री कुमार सत्यम भारद्वाज के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति 'अनिवार्य रूप से सेवानिवृति को निरस्त कर दिया गया है। उक्त वाद में पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है-

Accordingly, the impugned order of punishment dated 24.02.2026, is hereby, quashed and set aside. The Petitioner shall be reinstated in service forthwith, but in any case, not beyond a period of 2 weeks from today.

The Respondents are further directed to pass an appropriate order of entire consequential benefits including back-wages, promotion etc. within a further period of 6 weeks.

Consequently, the instant writ application stands allowed. Pending I.A.s, if any, also stands disposed of.

5. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-13 (3) के आलोक में समीक्षोपरांत निम्नवत् निर्णय लिया जाता है -

(क) W.P.(S) No.1989/2026 कुमार सत्यम भारद्वाज बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 22.06.2026 को पारित न्यायादेश तथा उक्त न्यायादेश के अनुपालन हेतु श्री कुमार सत्यम भारद्वाज, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, गोविन्दपुर, धनबाद (सम्प्रति अनिवार्य रूप से सेवानिवृत) के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति 'अनिवार्य रूप से सेवानिवृति को विलोपित किया जाता है ।

(ख) श्री कुमार सत्यम भारद्वाज, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, गोविन्दपुर, धनबाद (सम्प्रति अनिवार्य रूप से सेवानिवृत) की अनिवार्य सेवानिवृति की तिथि तथा पुनस्थापन की बीच की अवधि सभी परियोजनार्थ कत्र्तव्य पर मानी जायेगी। तथा उक्त अवधि के लिए श्री भारद्वाज को पूरे वेतन एवं भत्ते का भुगतान किया जायेगा, जो अनिवार्य सेवानिवृति नहीं किये जाने पर अनुमान्य होता ।

(ग) विभागीय आदेश सं0-438, दिनांक 24.02.2026 के द्वारा श्री कुमार सत्यम भारद्वाज के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति 'अनिवार्य रूप से सेवानिवृति का विलोपन माननीय न्यायालय में दायर LPA No.-.../2026 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम कुमार सत्यम भारद्वाज के अंतिम फलाफल से प्रभावित होगा ।

6. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री (राजस्व) का अनुमोदन प्राप्त है ।

**मंजू रानी स्वांसी,**
सरकार के संयुक्त सचिव।

---

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 442 - 50